छत्तीसगढ़ विधान सभा

अगस्त, 2020 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार, दिनांक 27 अगस्त,2020 (भाद्रपद 5, 1942)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2019–20 के बजट की तृतीय एवं अंतिम तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखेंगे।

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 104 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2018–19 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री मोहम्मद अकबर, परिवहन मंत्री, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार –

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ 5–10/आठ–परि./2020, दिनांक 28 मार्च, 2020.

(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 5–4/आठ–परि./2020, दिनांक 4 जून, 2020 तथा

(iii) अधिसूचना क्रमांक आर– 472/आठ–परि./2020, दिनांक 24 जुलाई, 2020

पटल पर रखेंगे।

(4) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7–24/2019/32, दिनांक 29 अप्रैल, 2020 पटल पर रखेंगे।

(5) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 86 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7–21/2019/32, दिनांक 28 फरवरी, 2020 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (सामान्य) विनियम, 2020 पटल पर रखेंगे।

(6) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) की धारा 15 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का एकादश वार्षिक प्रतिवेदन 01 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक पटल पर रखेंगे।

क्रमशः 2

(7) श्री अमरजीत भगत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 19 एवं 30 के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ 10–64/खाद्य/2009/29–1, दिनांक 8 दिसम्बर, 2016 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण), नियम 2016 के नियम (9) के उपनियम (छ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019–20 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, पुन्नूलाल मोहले, सदस्य, प्रदेश के गौठानों में मवेशियों की मौतें होने की ओर पशुधन विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य, बस्तर में हथकरघा बुनकर समितियों की मशीनें एवं भवन जर्जर होने की ओर ग्रामोद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) सर्वश्री सौरभ सिंह, रजनीश कुमार सिंह, सदस्य, सूरजपुर जिले में स्थित मां महामाया शक्कर कारखाना मर्यादित द्वारा शक्कर विक्रय की निविदा प्रक्रिया में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक– 20, रामपुर के सदस्य, श्री ननकीराम कंवर, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक– 46, भाटापारा के सदस्य, श्री शिवरतन शर्मा एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक– 88 एवं दंतेवाड़ा की सदस्य, श्रीमती देवती कर्मा को अगस्त, 2020 सत्र में सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा।

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री बघेल लखेश्वर, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2) डॉ. प्रीतम राम, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(3) श्री धनेन्द्र साहू, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये वर्ष 2020–2021 की शेष अवधि हेतु रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये निर्वाचन

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

"सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 177 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार वर्ष 2020–2021 की शेष अवधि के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में अनुसूचित जनजाति वर्ग से रिक्त हुए एक स्थान तथा पिछड़े वर्ग से रिक्त हुए दो स्थानों की पूर्ति के लिये अपने में से निर्वाचन के लिये अग्रसर हों।"

क्रमशः 3

7. वित्तीय वर्ष 2020–2021 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

निर्धारित समय

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

3 घंटे दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या – 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 54, 55, 58, 64, 67, 69, 71, 75, 76, 79, 80, 81 एवं 82 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर **तीन हजार आठ सौ सात करोड़, छियालीस लाख, चौदह हजार, सात सौ चौदह रूपये** की अनुपूरक राशि दी जाये।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक–3) विधेयक, 2020 (क्रमांक 28 सन् 2020) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

15 मिनट (2) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 17 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

15 मिनट (3) डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 18 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

15 मिनट (4) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 19 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (5) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 20 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

1 घंटा (6) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक, 2020 (क्रमांक 21 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

क्रमशः 4

निर्धारित समय

15 मिनट (7) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 22 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

15 मिनट (8) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम,आदिम जाति विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 23 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

15 मिनट (9) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 24 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

15 मिनट (10) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 25 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

15 मिनट (11) श्री टी.एस. सिंहदेव, वाणिज्यिक कर (जीएसटी) मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 26 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

15 मिनट (12) श्री उमेश पटेल,उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 27 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

9. शासकीय संकल्प

1 घंटा श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

"यह सदन, केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि संविधान के अनुच्छेद 344 (1) और अनुच्छेद 351 से सहपठित आठवीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी भाषा को सम्मिलित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे।"

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 26 अगस्त,2020